न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्याः— 72/2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. सांवतराज पुत्र घीसाराम जाति जटिया निवासी सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. हीरालाल पुत्र स्व0 भाणाराम जाति जटिया निवासी सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0। 2. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थितिः—

01. श्री पवन दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. श्री गजेन्द्र दवे अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक :— 18/12/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बासनी मुथा पटवार हल्का आलावास आर.आई. सोजत रोड तहसील सोजत सिटी जिला पाली राजस्थान में अप्रार्थी से 1 की हक हकूक कब्जा काश्त की कृषि भूमि आई हुई स्थित थी, जिसके खसरा संख्या 139 रकबा 1.30 हेक्टर किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 1 कुल रकबा 1.30 हेक्टर थे। जिसमें से 0.64 हेक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा संपूर्ण प्रतिफल की राशि प्राप्त कर प्रार्थी को दिनांक 30/07/2016 को बेचान किया, जो उप पंजीयन अधिकारी सोजत के कार्यालय में दर्ज है, जो पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 484 में पृष्ठ संख्या 146 क्रम संख्या 2016001926 पर दर्ज है। इसके बाद में प्रार्थी की कृषि भूमि का 139/1 खसरा, क्षेत्रफल 0.64 हेक्टर कायम किया जाकर दर्ज की गई एवं अप्रार्थी सं 1 की कृषि भूमि खसरा संख्या 139 कुल क्षेत्रफल 0.66 हेक्टेयर दर्ज की गई। इस प्रकार वर्तमान में प्रार्थी और अप्रार्थी सं 1 की कृषि भूमि निम्न प्रकार से दर्ज है कि अप्रार्थी सं0 01 की कृषि भूमि नया खाता सं0 157 ख0नं0 139 रकबा 0.66 है0 किस्म बा0दो0 तथा प्रार्थी की कृषि भूमि नया के खाता सं0 232 खसरा नंबर 139/1 रकबा 0.64 है0 किस्म बा0दो0 हैं। प्रार्थी की खरीद–सुदा कृषि भूमि के पड़ोस इस प्रकार है कि उत्तर दिशा में दोनों पक्षकारों का सामलाती 10 फीट रास्ता, दक्षिण दिशा में अन्य कृषि भूमि, पूर्व में सिसरवादा जाने का आम रास्ता तथा पश्चिम में अप्रार्थी से 1 की कृषि भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में बेचान हस्तांतरण करने के बाद से ही प्रार्थी अपने हिस्से पर कब्जा काश्त कर रहा है तथा निरंतर बिना किसी व्यवधान के स्वतंत्र रूप से शांतिपूर्वक काबिज है। वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थी के हिस्से के चारों तरफ बाड़ बनी हुई है तथा धोरा–पाली की हुई है। प्रार्थी द्वारा खरीद की गई कृषि भूमि के अलावा प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 का सामलाती रास्ता भी है, जो कि उक्त बेचान रजिस्ट्री में लिखा हुआ है, तथा प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करने का प्रार्थी को अधिकार दिया हुआ है साथ ही उक्त रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज है तथा दिनांक 18.7.2020 एक आपसी इकरारनामा द्वारा प्रार्थी और अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा तय किया गया कि उक्त सामलाती रास्ते को दूसरी बाड़ की तरफ स्थानांतरण किया जाएगा इस इकरारनामें में यह तय किया गया कि पहले की तरह ही उक्त रास्ता 10 फीट चौडा रहेगा तथा प्रार्थी को बेचान की हुई भूमि के दक्षिणी बाड़ के सहारे सहारे पूर्व से पश्चिम लंबा रहेगा एवं अप्रार्थी संख्या 1 के खेत की पूर्वी बाड़ पर आकर खत्म हो जाएगा, उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग दोनों पक्षकार एवं उनकी आल–औलाद, वली वारिशान द्वारा किया जाएगा, जो दोनों पक्षकारों का सामलाती रहेगा तथा उक्त रास्ता सार्वजनिक नहीं होगा। दिनांक 25/3/2025 को प्रार्थी अपने पुत्र के साथ उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में अपने हिस्से की कृषि भूमि की सार–संभाल करने हेतु गया, तो वहां पर उक्त कृषि भूमि में बाड़ व

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

धोरा–पाली हटे हुए थे तथा अप्रार्थी 1 अवैध रूप से प्रार्थी की कृषि भूमि में नाजायज कब्जा करने हेतु उतारू था तथा अप्रार्थी 1 द्वारा उक्त सामलाती रास्ते को बन्द कर दिया गया जिस पर प्रार्थी एवं प्रार्थी के पुत्र ने अप्रार्थी संख्या 1 को ऐसा करने का कारण पुछा तो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बताया गया की वह अपनी कृषि भुमि का बेचान कर रहा है तथा उक्त रास्ता उसकी खातेदारी में है इसलिए उक्त रास्ते को भी बेचान करेगा उसके बाद प्रार्थी और प्रार्थी के पुत्र ने रास्ते का सामलाती होने का कहा तथा बाड व धोरा पाली हटाने के कारण ऐतराज जताया तो अप्रार्थी संख्या 1 ने कहा की मेरी जो मर्जी होगी वो मैं करूंगा तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त सामलाती रास्ते को अवैध रूप से बंद कर दिया गया एवं रास्ते को अपनी भूमि के साथ में अवैध रूप से बेचान/ हस्तांतरण करने हेतु उतारू है। जबकि बेचान दस्तावेज दिनांक 18.07.2020 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1. प्रार्थी की बिना सहमति के उक्त सामालती रास्ते का बेचान/ हस्तांतरण करने का अधिकारी नहीं है एवं अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थी की हक हकूक कब्जा–काश्त की कृषि भूमि में अवैध अतिक्रमण करने का भी कोई अधिकार नहीं है, क्योकि प्रार्थी द्वारा संपूर्ण प्रतिफल की राशि देकर अप्रार्थी सं0 से उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि खरीद की गई है तथा अपने हिस्से की कृषि भूमि 0.64 हेक्टेयर पर काबिज है। अप्रार्थी सं0 1 को प्रार्थी की हक हकूक कब्जा काश्त कृषि भूमि में अवैध अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है तथा बिना प्रार्थी की सहमति के उक्त सामलाती रास्ते को बंद करने एवं बेचान हस्तांतरण करने का भी कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी से विवादित स्थल पर अवैध रूप से कब्जा करना चाहता है तथा सामलाती रास्ते पर कब्जा करके उसका अवैध बेचान करना चाहता है तथा मूल वाद के निस्तारण में समय लगेगा जिस कारण से मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा के जरिये पाबन्द किया जाना उचित व न्यायोचित है। विवादित स्थल प्रार्थी के कब्जासुदा एवं खरीदसुदा होने से तथा उक्त रास्ता सामलाती होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है एवं अगर अप्रार्थी द्वारा अवैध रुप से विवादित स्थल पर कब्जा कर लिया जाता है या निर्माण कर दिया जाता है एवं उक्त सामलाती रास्ते को बंद कर इसका बेचान हस्तांतरण कर दिया जाता है तो प्रार्थी विवादित स्थल एवं सामलाती रास्ते के उपयोग उपभोग से वंचित हो जायेगा और इससे वाद बाहुल्यता भी बढेगी जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन कदापि रुपयों में नहीं आंका जा सकेगा। अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा द्वारा मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी के उक्त कृषि भूमि व रास्ते के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार दखलअंदाजी न तो स्वयं करे न ही अपने किसी नौकर, एजेन्ट, रिश्तेदार, मित्र या अन्य किसी व्यक्ति के जरिये करवाये तथा मूल वाद के निस्तारण तक अपनी कृषि भूमि व सामलाती रास्ते का बेचान हस्तांतरण अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी भी प्रकार से हस्तांतरण न किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब प्रा0पत्र तथा प्रा0 पत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का यह लिखना भी सही है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी हक हकूक खातेदारी कृषि भूमि में से 0.6400 हैक्टर कृषि भूमि प्रार्थी को दिनांक 30/07/2016 को बेचान कर प्रतिफल की राशि प्राप्त की थी, जो बेचान रजिस्ट्री उप–पंजीयन कार्यालय सोजत सिटी में पंजीबद्धसुदा है। बेचान किये जाने के पश्चात् प्रार्थी की खरीदसुदा कृषि भूमि की अलग खातेदारी इन्द्राज की जाकर खसरा संख्या 139/1 रकबा 0.6400 हैक्टर कृषि भूमि प्रार्थी के नाम कायम की जाकर दर्ज की गई तथा खसरा संख्या 139 रकबा 0.6600 हैक्टर कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम इन्द्राज हुई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अपनी खरीदसुदा कृषि भूमि के पड़ौस गलत अंकित किये है, जिसमें उतर दिशा में दोनो पक्षकारो का सामलाती रास्ता अंकित किया, जो गलत है, बल्कि उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 की शेष कृषि भूमि है, जिस कृषि भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त चला आ रहा है, जिसका उपयोग व उपभोग एकमात्र अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा ही किया जा रहा है। प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि के चारो तरफ धोरा पाली की हुई है, इससे अधिक भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त में कतई नहीं है। प्रार्थी का यह लिखना गलत है कि प्रार्थी द्वारा खरीद की गई कृषि भूमि के

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

अलावा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 का सामलाती रास्ता भी है, जो कि उक्त बेचान रजिस्ट्री में लिखा हुआ है, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रार्थी को मात्र 0.6400 हैक्टर भूमि बेचान की जो भूमि सिसरवादा जाने वाले आम रास्ते से लगी हुई भूमि बेचान की गई, जिसके पीछे वाले हिस्से की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के हक हिस्से में रही तथा कुछ हिस्सा प्रार्थी की कृषि भूमि के उतर दिशा में रही, जो राजस्व ट्रेस नक्शे में पूर्णतः स्पष्ट है, जब प्रार्थी की कृषि भूमि मुख्य मार्ग पर स्थित है तो प्रार्थी को अतिरिक्त सामलाती रास्ता दिये जाने का कोई औचित्य नहीं रहता है। अप्रार्थी संख्या 1 जो कि बीमार व वृद्ध व्यक्ति है तथा प्रार्थी एक सातीर व्यक्ति है, जिसने अप्रार्थी संख्या 1 के वृद्धावस्था व बीमारी का फायदा उठाते हुये गलत तरीके से बेचान रजिस्ट्री में उल्लेख करवाया होगा तो इसके बाबत् अप्रार्थी को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। प्रार्थी का यह लिखना सर्वथा गलत है कि प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग करने का प्रार्थी को अधिकार दिया गया है, बल्कि मौके पर ऐसा किसी प्रकार का कोई रास्ता मौजुद नहीं है। प्रार्थी की कृषि भूमि के उतर दिशा में स्थित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के हक हकूक खातेदारी, कब्जा काश्त की कृषि भूमि है, जिस भूमि को प्रार्थी के द्वारा गलत तरीके से रास्ते की भूमि दर्शित करते हुये वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का यह लिखना गलत है कि दिनांक 18/07/2020 को आपसी इकरारनामा के द्वारा प्रार्थी ओर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा तय किया गया कि उक्त सामलाती रास्ते को दुसरी बाड की तरफ स्थानान्तरण किया जायेगा तथा यह लिखना भी गलत है कि इकरारनामा में यह तय किया गया कि पहले की तरह ही उक्त रास्ता 10 फीट चौडा रहेगा। प्रार्थी का यह लिखना गलत है कि प्रार्थी को बेचान की गई भूमि दक्षिणी बाड की सहारे सहारे पूर्व से पश्चिम लम्बा रहेगा तथ यह लिखना भी गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 के खेत की पूर्वी बाड पर आकर खत्म हो जायेगा, क्या खत्म हो जायेगा का उल्लेख प्रार्थी के द्वारा अपने कथनो में नही किया है। प्रार्थी का यह लिखना गलत है कि रास्ते का उपयोग व उपभोग दोनो पक्षकार व उनकी आल औलाद व वाली वारिसान द्वारा किया जायेगा, जबकि मौके पर ऐसा कोई रास्ता आया हुआ स्थित नहीं है, बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 की हक हकूक खातेदारी, कब्जा काश्त की कृषि भूमि है, जिसका उपयोग व उपभोग करने का एकमात्र अधिकार अप्रार्थी संख्या 1 को ही है, जिस कृषि भूमि में प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा निहित नही है और न ही वादस्थ कृषि भूमि का प्रार्थी रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी संख्या 1 वादस्थ कृषि भूमि का रेकर्डेड खातेदार है, जिस कृषि भूमि के सम्बंध में प्रार्थी का अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध कोई वाद व प्रार्थना पत्र लाने का हक व अधिकार नहीं है, प्रार्थी जिसे प्रार्थना पत्र में वादस्थ रास्ता व सामलाती रास्ता होना बताता है, उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी, कब्जा काश्त की भूमि है, मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता आया हुआ स्थित नहीं है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 4 में वर्णित तमाम तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी के द्वारा जानबुझकर मनगढ़त तथ्य उल्लेखित किये है। प्रार्थी का यह लिखना गलत है कि प्रार्थी व उसके पुत्र ने रास्ते की सामलाती कृषि भूमि होने का कहा तथा बाड व धोरा पाली हटाने के कारण एतराज जताया, तो अप्रार्थी संख्या 1 ने कहाँ कि मेरी जो मर्जी होगी मैं करूंगा, तू मेरा कुछ नहीं कर सकते। अप्रार्थी संख्या 1 काफी वृद्ध व्यक्ति है, जो लकवे की बिमारी से ग्ररित है, जो चलने फिरने में पूर्ण रूप से असमर्थ है, जिसके द्वारा इस प्रकार की धमकीयें दिये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। प्रार्थी का यह लिखना गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त सामलाती रास्ते को अवैध रूप से बन्द कर दिया गया, व रास्ते को अपनी भूमि के साथ में अवैध रूप से बेचान हस्तान्तरण करने पर उतारू है, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी को बेचान किये जाने के पश्चात् माप व सीमांकन किये जाने के पश्चात् प्रार्थी एवम् अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने अपने हिस्से की भूमि में धोरा पाली व तारबन्दी की गई थी, उस समय प्रार्थी को किसी प्रकार का कोई एतराज नही था, जो प्रार्थी की स्वयं की सहमति से किया गया था। प्रार्थी का यह लिखना गलत है कि दिनांक 18/07/2020 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी की बिना सहमति के उक्त सामलाती रास्ते का बेचान हस्तान्तरण करने का अधिकार नही है तथा यह लिखना भी गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थी की हक हकूक कब्जा काश्त की भूमि में अवैध अतिक्रमण करने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रार्थी के हक हिस्से की कृषि भूमि में कभी भी दखल अन्दाजी उत्पन्न

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

नहीं की। प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से जितनी कृषि भूमि खरीद की गई, उस कृषि भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है, शेष बची कृषि भूमि पर एकमात्र कब्जा अप्रार्थी संख्या 1 का आया हुआ स्थित है, जिसका उपयोग व उपभोग करने, बेचान, हस्तान्तरण करने इत्यादि का कानूनन हक व अधिकार प्राप्त है। यदि सामलाती रास्ता आपसी सहमति से छोडा गया होता तो अवश्य ही राजस्व रेकर्ड में इसका अमल दरामद किया होता, चूंकि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य ऐसा किसी प्रकार का कोई इकरारनामा निष्पादित नहीं किया गया। प्रार्थी के द्वारा जो इकरारनामा होना बताया गया है, वह पूर्णतः फर्जी व कुटरचित है तथा अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्पित है, ऐसा दस्तावेज जो साक्ष्य में अग्राह्य है, जिस दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध वाद व प्रार्थना पत्र लाने का कोई कानूनन हक व अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिये प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला न होकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला है। अप्रार्थी संख्या 1 को अपनी हक हकूक खातेदारी कृषि भूमि का उपयोग व उपभोग करने व बेचान, हस्तान्तरण करने से प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूर्णिय क्षति कारित नहीं होगी, यदि अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 1 को अपूर्णिय क्षति कारित होगी, जिसका मुल्यांकन कदापी रूपयो पैसो में नहीं आका जा सकेगा, इसलिये प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध वाद व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र लाने का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है और न ही उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध चलने योग्य है, जो खारिज किये जाने योग्य है। **विशेष उजरात** में निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र में इकरारनामा दिनांक 18/07/2020 का उल्लेख किया गया है, जो इकरारनामा पूर्णतः फर्जी व कुटरचित है, ऐसा इकरारनामा अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा कतई निष्पादित नहीं किया गया, न ही उक्त इकरारनामे पर अप्रार्थी संख्या 1 के हस्ताक्षर है, ऐसे दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि पर वाद व प्रार्थना पत्र लाने का कोई वादकारण उत्पन्न नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत इकरारनामा दिनांक 18/07/2020 अनस्टाम्पित, अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है, जो दस्तावेज कतई साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त कृषि भूमि का रेकर्डेड खातेदार, काश्तकार है, जिस कृषि भूमि पर एकमात्र कब्जा प्रार्थी का आया हुआ स्थित है, इसलिये प्रार्थी कब्जे के अभाव में व रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब मय विशेष उजरात मय शपथपत्र पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

बहस वकुलाय सुनी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि वादग्रस्थ कृषि भूमि सरहद मौजा बासनी मुथा तह0 सोजत के खसरा संख्या 139 रकबा 1.30 हेक्टर की कृषि भूमि में से 0.64 हेक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा संपूर्ण प्रतिफल की राशि प्राप्त कर प्रार्थी को दिनांक 30/07/2016 को बेचान किया जाकर प्रार्थी की कृषि भूमि का खसरा 139/1, क्षेत्रफल 0.64 हेक्टर कायम किया जाकर दर्ज की गई एवं अप्रार्थी सं 1 की कृषि भूमि खसरा संख्या 139 कुल क्षेत्रफल 0.66 हेक्टेयर दर्ज की गई। प्रार्थी की खरीद–सुदा कृषि भूमि के पड़ोस के उत्तर दिशा में दोनों पक्षकारों का सामलाती 10 फीट रास्ता, दक्षिण दिशा में अन्य कृषि भूमि, पूर्व में सिसरवादा जाने का आम रास्ता तथा पश्चिम में अप्रार्थी से 1 की कृषि भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में बेचान हस्तांतरण करने के बाद से ही प्रार्थी अपने हिस्से पर कब्जा काश्त कर रहा है तथा निरंतर बिना किसी व्यवधान के स्वतंत्र रूप से शांतिपूर्वक काबिज है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त सामलाती रास्ते को अवैध रूप से बंद कर दिया गया एवं रास्ते को अपनी भूमि के साथ में अवैध रूप से बेचान/ हस्तांतरण करने हेतु उतारू है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होने से प्रार्थी का प्रा0पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा द्वारा मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी के उक्त कृषि भूमि व रास्ते के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार दखलअंदाजी नहीं करने तथा बेचान, हस्तान्तरण करने से पाबंद किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 द्वारा निवेदन किया कि वादग्रस्थ कृषि भूमि के संबंध में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अपनी खरीदसुदा कृषि भूमि के पड़ौस गलत अंकित किये है, जिसमें उत्तर दिशा में दोनो पक्षकारो का सामलाती रास्ता अंकित किया, जो गलत है, बल्कि उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 की शेष कृषि भूमि है, जिस कृषि भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त चला आ रहा है, जिसका उपयोग व उपभोग एकमात्र अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा ही किया जा रहा है। प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि के चारो तरफ धोरा पाली की हुई है, इससे अधिक भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त में कतई नहीं है। प्रार्थना पत्र में इकरारनामा दिनांक 18/07/2020 का उल्लेख किया गया है, जो इकरारनामा पूर्णतः फर्जी व कुटरचित है, ऐसा इकरारनामा अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा कतई निष्पादित नहीं किया गया, न ही उक्त इकरारनामे पर अप्रार्थी संख्या 1 के हस्ताक्षर है, ऐसे दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि पर वाद व प्रार्थना पत्र लाने का कोई वादकारण उत्पन्न नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत इकरारनामा दिनांक 18/07/2020 अनस्टाम्पित, अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है, जो दस्तावेज कतई साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त कृषि भूमि का रेकर्डेड खातेदार, काश्तकार है, जिस कृषि भूमि पर एकमात्र कब्जा प्रार्थी का आया हुआ स्थित है, इसलिये प्रार्थी कब्जे के अभाव में व रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र फहरिस्त मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रकरण में मुख्य विवाद प्रार्थी के अनुसार उसकी खातेदारी ख0नं0 139/1 के उत्तर में स्थित सामलाती रास्ता हैं। जिसका उल्लेख बेचान रजिस्ट्री तथा इकरारनामा में किया गया हैं। जबकि ख0नं0 139/1 के उत्तर में स्थित कृषि भूमि ख0नं0 139 का ही भाग है, जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी सं0 01 के नाम दर्जसुदा हैं। चूंकि वादस्थ कृषि भूमि के उत्तर में स्थित रास्ते के हक अधिकारो तथा बेचान रजिस्ट्री एवं इकरारनामां में वर्णित तथ्य साक्ष्य की विषयवस्तु हैं। जिसका निर्धारण मूल वाद में तनकियात कायम की जाकर बाद साक्ष्य गुणावगुण पर तय किये जाने योग्य हैं। जिससे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध नहीं होकर अप्रार्थी सं0 01 के पक्ष में सिद्ध होता हैं। लिहाजा वर्तमान परिपेक्ष्य में प्रस्तुत प्रा0पत्र मय शपथ पत्र, जवाब प्रा0पत्र एवं बहस वकुलाय पर गौर व मनन करने के उपरांत प्रार्थी का प्रस्तुत उक्त प्रा0पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता प्रार्थी मय प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 18/12/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत